

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 6 जुलाई, 1999 (आषाढ 15, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (क्रमांक 1 सन् 1999) पटल पर रखेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1997-98), लोक आयुक्त संगठन का सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के सोलहवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तर; तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1994, 1995, 1996 एवं 1997, तथा

(2) श्री नरेन्द्र भवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 30 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1995-96 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1996 के लिये पटल पर रखेंगे।

4. फरवरी-मार्च, 1999 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना।

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 1999 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना।

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, शिवरतन शर्मा, सदस्य, राज्य शासन द्वारा कृषि उपयोगी रासायनिक खाद पर कर लगाये जाने से हुई मूल्य वृद्धि की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बाबुलाल मेवरा, नरेन्द्र बिरधरे, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम डोकरका में दूषित पेयजल से दो आदिवासियों की हुई मृत्यु की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

